उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048129

TRY. LKO

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	:	रू0 5,07,436/-
बाजार मूल्य	:	रू0 3,02,250/-
स्टाम्प शुल्क	:	रू0 50,800/-
परगना	:	बिजनौर

यह विक्रय विलेख चन्द्रपाल पुत्र लोचई, निवासी-ग्राम-मुजफ्फरनगर, मुबल्ल, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम्

For ... Authorised Signatory

श्री [illegible] पु० [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

ने यह लेखपत्र [illegible]

मे आज [illegible]

अव [illegible]

[illegible]

उप निबन्धक [illegible]

[illegible]

[illegible] पूर्णतया समझकर [illegible]

[illegible]

[illegible] श्री [illegible]

स्वीकार किया। [illegible]

[illegible]

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

गौरी रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), रजिस्टर्ड आफिस-1101 टाल्सटॉय हाउस, टाल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता-तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible]

जिनकी पहचान की [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

[illegible]

मुहर, मय मार्जिन के निशान [illegible]

[illegible]

उप निबन्धक—प्रथम

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. भारत Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

- 1 -

यह कि विक्रेता भूमि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1412 से 1417 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 48 के खसरा संख्या-320 रकबा 1.068 हेक्टेअर में से 1/5 भाग अर्थात 0.214 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम-मुजफ्फरनगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ, के मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 48 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि

For ... Realtors Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. | R 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible]3075

भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण

For [illegible] Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

18 JUN 2006

अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के मूल्यस्वरूप रु० 5,07,436/- (रुपया पांच लाख सात हजार चार सौ छत्तिस मात्र) के प्रतिफल में मय दोनों आम के पेड़ों का मूल्य भी शामिल है। जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में

For Gauri Realtors Pvt Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 968720

अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को भलुती करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके मालिकान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व हलावर से सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे।

For [illegible] Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

एक सौ रुपये

रु. 100

100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उक्त

रु. 100 Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.214 हैक्टेयर की मालियत रू0 2,94,250/- होती है, चूंकि विक्रीत भूमि पर तीन देशी आम के पेड़ स्थित है अतः पेड़ों सहित विक्रीत भूमि का बाजारू मूल्य 3,02,250/- होती है। चूंकि भूमि का विक्रय मूल्य व भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 50,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख की लिखत का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

For

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपने पूरे होशो-हवास व बिना किसी जोर-दबाव के क्रेता के हक में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित भटवाशिक खतौनी सन् 1412 से 1417 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 40 के खसरा संख्या-330 रकबा 1.068 का 1/5 भाग अर्थात 0.214 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फरनगर पुरवाल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 330

पूरब	: खसरा संख्या-331
पश्चिम	: खसरा संख्या-329, 341
उत्तर	: खसरा संख्या-328
दक्षिण	: खसरा संख्या-334

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल प्रतिफल रू0 5,07,436/- (रुपया पांच लाख सात हजार चार सौ छत्तिस मात्र) में से रू0 5,00,000/- (रुपया पांच लाख मात्र) का एक चेक व रू0 7,436/- (रुपया सात हजार चार सौ छत्तिस मात्र) द्वारा चेक संख्या-

95 3195, 95 3196 सभी चेक दिनांक 17.06.2006 जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक, एम०जी० मार्ग, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट:-सभी चेक संख्या काले पेन के द्वारा हाथ से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 17.06.2006

गवाह

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

Authorised Signatory

क्रेता

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवार हुसैन)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

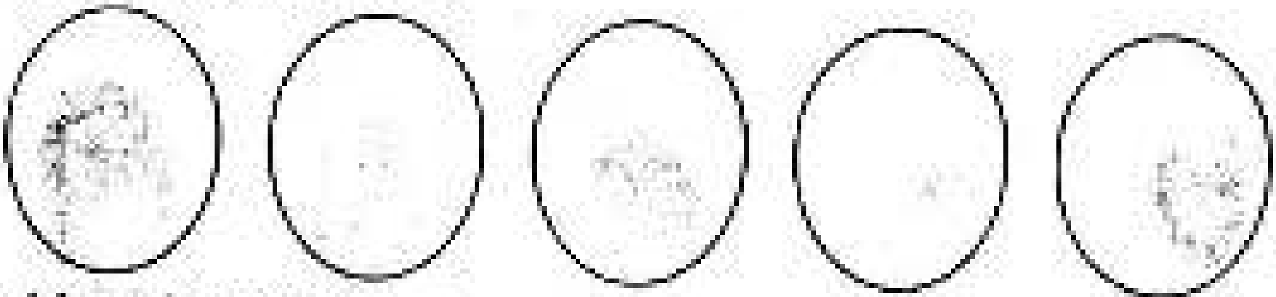

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

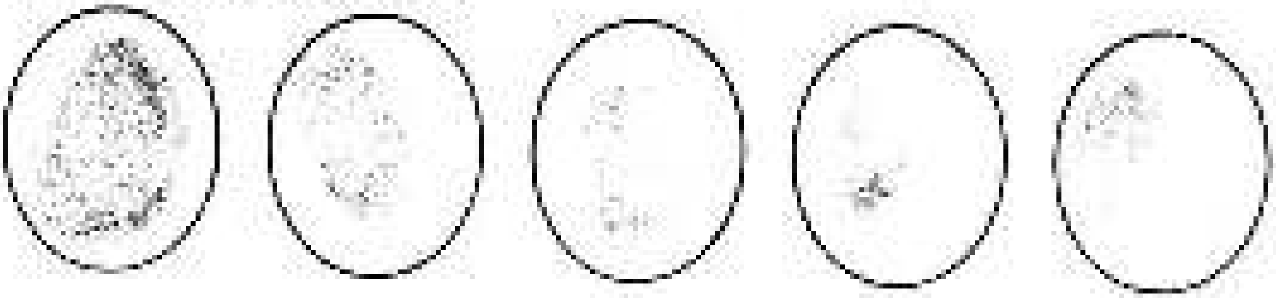

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

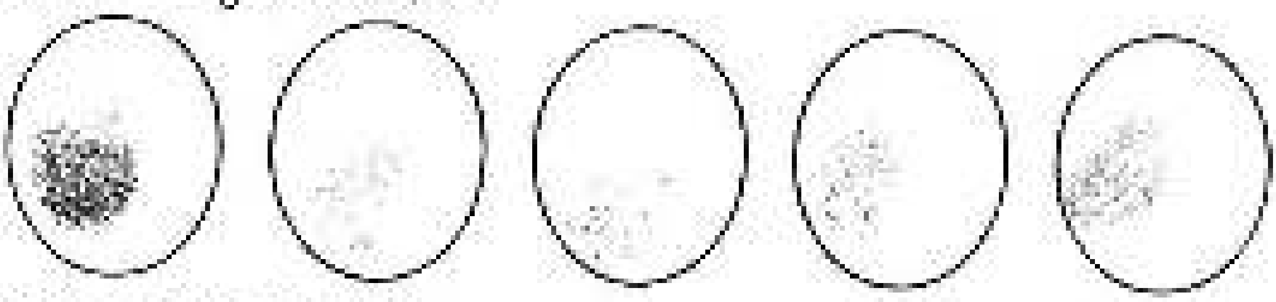

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

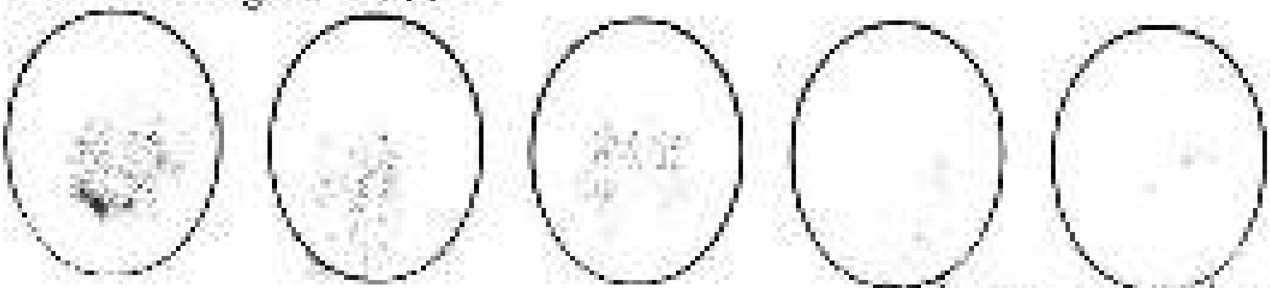

नक्शा - नजरी

ग्राम :- [illegible]

खसरा नं. :- [illegible]

[illegible]

रकबा :- [illegible]

[illegible]

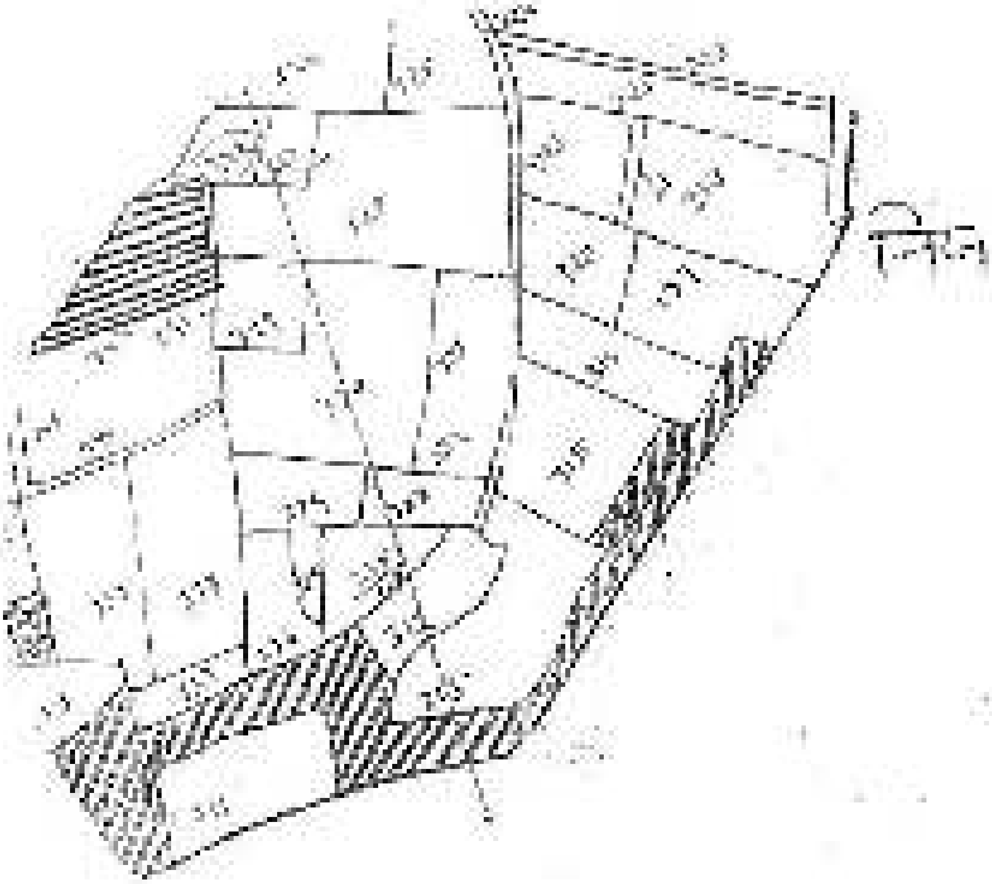

[illegible]

For [illegible]

[illegible]

आज दिनांक [illegible] को
पुस्तक संख्या [illegible]
पृष्ठ [illegible] पर क्रमांक [illegible]
रजिस्ट्री कर दिया गया।

उप निबन्धक-प्रथम
[illegible]